

कार्यालय जिला पंचायत (ग्रामीण विकास) छिंदवाड़ा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में
छिंदवाड़ा को मिला उत्कृष्टता पुरस्कार

दिनांक— 03/02/2010

छिंदवाड़ा— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का जिले में बेहतर क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिले को उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। 2 फरवरी 2010 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री सी.पी. जोशी द्वारा कलेक्टर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जॉबकार्डधारी परिवारों को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, बैंक एवं पोस्टऑफिस के माध्यम से मजदूरी भुगतान करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की कपिलधारा, भूमिशिल्प एवं नंदन फलोद्यान उपयोजना में लाभान्वित करने पर जिले को यह पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री श्री सिंह, यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जोशी ने छिंदवाड़ा जिले द्वारा किए गए उक्त कार्यों की सराहना की। इसके अलावा एमआईएस फीडिंग एवं नवाचार के रूप में योजना में पारदर्शिता, निगरानी एवं रोजगार सृजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए एसएमएस साफ्टवेयर की भी प्रशंसा की गई।

वर्ष 2008-09 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में एनआरईजीए अमले का कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करने पर कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को व्यक्तिगत तौर पर सम्मान-पत्र एवं जिला एनआरईजीएस टीम को पुरस्कार के रूप में ट्राफी प्रदान की गई। कलेक्टर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने जिले की इस उपलब्धि पर समस्त एनआरईजीएस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेषित की है।

मीडिया अधिकारी
जिला पंचायत, छिंदवाड़ा